

कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मोप्र०, भोपाल.

क्रमांकजी०बी० / दो(8)2016 / ५२२

भोपाल, दिनांक 23/2/2016

अल्पाधि निविदा सूचना

उत्तरपुस्तिका के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित, पैकिंग एवं अन्य समस्त कर सहित प्रदाय करने के इच्छुक इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A) में गोपनीय कार्य हेतु जीवित पंजीकृत प्रिन्टरों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 1–3–2016 अपराह्न 2.00 तक की—डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूने अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की—डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 1–3–2016 को अपराह्न 3.30 बजे उपरिथित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों खोला जावेगा।
3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

[Signature]
उप नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मोप्र०, भोपाल.

**OFFICE OF THE CONTROLLER
GOVT. PRINTING AND STATIONERY, M.P., BHOPAL.**

No. GB-II/ /8)/2016/ 522


Bhopal, dated 23/2/16

SHORTTIME TENDER NOTICE

ONLINE Bids are invited through IT Department website <https://mpeproc.gov.in> from the Registered Printers for confidential Printing work of Indian Bank Association (IBA) for Printing and supply of Answer Sheet (description mentioned in technical details) including paper, printing and other charges per No. with all taxes are invited on are before 2.00 PM on 1-3-2016 as per key dates.

2. Hard Copy of the Bid Documents complete in all respects, alongwith Technical tender document, certified Paper Sample, acceptation of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelopes of Hard Copy and Online Technical Parts will be open on 1-3-2016 at 3.30 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

3. All corrigendum/amendments/changes, if any will only be issued and made available only on Website <https://mpeproc.gov.in>


**Deputy Controller,
Govt. Printing and Stationery,
M. P., Bhopal.**

Key Dates and Time

- | | | | |
|-----------|---|----------|------------------------------|
| 1. | Bid document downloading end date | : | 12.00 AM on 29-2-2016 |
| 2. | Bid closing & last date & time for submission on online Bids | : | 2.00 PM on 1-3-2016 |
| 3. | Last Date & time for submission of Hard Copy of Bids. | : | 3.00 PM on 1-3-2016 |
| 4. | Date of Opening of Technical Bids | : | 3.30 PM on 1-3-2016 |
| 5. | Date of Opening of Commercial Bids. | : | 4.00 PM on 1-3-2016 |

John Marion

तकनीकी विवरण एवं शर्तें

क्र	उत्तरपुस्तिका	मात्रा	पेज संख्या	विवरण
1	खंड "अ"	6,600	1 से 36 / 18 लीफ	1—आकार— 21X 27.5 से.मी., 2—प्रश्न—पत्र अ एवं ब के प्रत्येक उत्तरपुस्तिका में कहर सहित 36 पेज (18 लीफ) एवं प्रश्न—पत्र चार, पांच, छ: में प्रत्येक उत्तरपुस्तिका में कहर सहित 48 पेज(24 लीफ)। 3—कहर का मुख्य पृष्ठ (खण्ड—अ नीला एवं खण्ड—ब हरा एवं 4,5,6 औरेंज रंग) में मुद्रित होंगे। मुख्य पृष्ठ का नीचे का भाग मशीन परफोरेट रहेगा एवं जो बाद में पृथक किया जा सकेगा। उक्त भाग में म0प्र0शासन का लोगो भी होगा। 4—समस्त उत्तरपुस्तिकाएं क्रमांकित/नम्बरिंग होगी,
2	खंड "ब"	6,600	1 से 36 / 18 लीफ	5—उत्तरपुस्तिका के कहर पर कस्टमाईज्ड ऑनलाईन बारकोड, स्क्वेयर कोड एवं Q.R कोड निर्देशों सहित होंगे। 6—अन्दर के समस्त पृष्ठों पर कस्टमाईज्ड ऑनलाईन बारकोड अंकित होगा,
3	खंड "अ"	6,600	1 से 36 / 18 लीफ	7—मार्जिन—प्रत्येक पृष्ठ के दोनों ओर रहेगी तथा पृष्ठ के दायी साईड में 2.5 सेमी एवं बायीं साईड में 3.5 सेमी रहेगा, 8—पंक्तियों में 01 सेंटीमीटर दूर होगी। 9—70 जी.एस.एम. मेपलिथो पेपर, मिनिमम 90% ब्राइटनेस। ("ए" ग्रेड पेपर मिलों का प्रयुक्त किया जाना है।)
4	खंड "ब"	6,600	1 से 36 / 18 लीफ	10—बाईंडिंग—साईड थ्रेड सिलाई, 11—प्रत्येक उत्तरपुस्तिका में कोडिंग नम्बर के ब्लाक में MPPSC LOGO बॉटरमार्क अंकित रहेगा। 12—प्रत्येक उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के पीछे निर्देश मुद्रित होंगे। 13—पैकिंग— 200—200 की मात्रा में पैक कर बॉक्स के ऊपर सरल क्रमांक अंकित कर प्रदाय करना होगा।
5	खंड "अ"	6,600	1 से 36 / 18 लीफ	
6	खंड "ब"	6,600	1 से 36 / 18 लीफ	
7	प्रश्न—पत्र चार	6,600	1 से 48 / 24 लीफ	
8	प्रश्न—पत्र पांच	6,600	1 से 48 / 24 लीफ	
9	प्रश्न—पत्र छ:	6,600	1 से 48 / 24 लीफ	
10	मुख्य	12500	1 से 48 / 24 लीफ	
11	पूरक	12500	1 से 12 / 6 लीफ	

- उपरोक्त तकनीकी विवरण की सामग्री के मुद्रण एवं प्रदाय हेतु इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A) में गोपनीय कार्य हेतु जीवित पंजीकृत मुद्रकों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से जिनके पास उक्त कार्य की मशीन स्थापित हो से ऑनलाईन निविदा के अन्तर्गत पेपर सहित मुद्रण, बंधन, परिवहन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित दरें दिनांक 1—3—2016 अपराह्न 2.00 बजे तक की—डेट्स अनुसार आमत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों की हार्डकापी की—डेट्स अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सील बंद लिफाफें में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये):—
 - इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A) में गोपनीय कार्य हेतु जीवित पंजीयन का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।

निविदाकार फर्म की पदमुद्रा
एवं हस्ताक्षर

- 1.2 निविदा प्रपत्र के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का राशि रूपये 2,000/- का डिमांड ड्राफ्ट एवं ई.एम.डी. राशि रूपये 10,000/- का एफ.डी.आर. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म0प्र0, भोपाल के पक्ष में तैयार कर हार्डकापी के संलग्न मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 1.3 उपरोक्त तकनीकी विवरण की प्रिंटिंग मशीनें स्थापित होने के प्रमाण स्वरूप स्थापित मशीन के क्रय देयक की प्रमाणित छायाप्रतियां मार्कर से चिह्नित कर संलग्न करना होगा।
- 1.4 उपरोक्त तकनीकी विवरण अनुसार नमूना तैयार कर अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित संलग्न करना होगा।
- 1.5 तकनीकी निविदा एवं शर्तों में प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति स्वरूप निर्धारित बॉक्स में निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर संलग्न करना होगा।
- 1.6 उपरोक्त उत्तरपुस्तिका मुद्रण के उपयोग में लाये जाने वाले पेपर नमूने पर पेपर निर्माता मिल का नाम, पेपर का जीएसएम, निविदाकार फर्म के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर संलग्न करना होगा।
2. निविदा में एल-1 दर का निर्धारण :— वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 4 जनवरी, 2016 के परिप्रेक्ष्य में शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-6-14-2012-अ-ग्यारह-राज्य शासन एतद् द्वारा वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-14-2012-अ-ग्यारह, दिनांक 28 जुलाई, 2015 से जारी “म0प्र0 भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015” में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:—
- 2.1 नियम 25.3 के पश्चात् निम्नानुसार नया नियम, 25.4 अंतः स्थापित किया जाता है।
“25.4 निविदा में L₁ दर का निर्धारण:— अखिल भारतीय स्तर की निविदा में प्रदेश के उद्यम द्वारा प्रस्तुत दरों में प्रदेश के वैट कर की राशि को छोड़कर तथा प्रदेश के बाहर की इकाइयों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर की राशि जोड़कर प्राप्त दरों के आधार पर L₁ दरों का निर्धारण किया जावेगा।” (संलग्न परिशिष्ट “अ” पृष्ठ क्रमांक-5)
3. तकनीकी भाग दिनांक 1-3-2016 अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष ऑनलाईन पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी एवं हार्डकापी को खोला जावेगा। फर्म द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी भाग के पात्र निविदाकारों का कार्मशियल भाग की-डेट्स अनुसार दिनांक 1-3-2016 अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदाकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि टेप्डर ओपनिंग के समय अवश्य उपस्थित रहें।
4. कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात् प्रूफ अनुमोदन विभाग से कराकर आयटम क्रमांक 10 एवं 11 की सामग्री दिनांक 8-3-2016 एवं शेष आयटम क्रमांक-01 से 09 तक दिनांक 21-3-2016 तक सम्पूर्ण सामग्री का प्रदाय मांगकर्ता कार्यालय को करना होगा, उसके पश्चात् सामग्री स्वीकार्य नहीं की जावेगी। सामग्री की आपूर्ति उपरान्त देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा।


निविदाकार फर्म की पदमुद्रा
एवं हस्ताक्षर

5. यदि प्रदाय की गई सामग्री निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार नहीं पायी गई अथवा किसी भी कारण से खराब अथवा उपयोग योग्य नहीं पाई गई तो ऐसी स्थिति में फर्म के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :—
- 5.1 सामग्री की गुणवत्ता/निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये जाने पर प्रतिभूति राशि के रूप में जमा एफ.डी.आर. राजसात कर ली जावेगी।
- 5.2 यदि मुद्रक को प्रदायित सामग्री का भुगतान किया जा चुका है। इसके पश्चात् सामग्री की गुणवत्ता में कमी आदि सूचना कार्यालय में प्राप्त होने पर 5.3 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 5.3 शर्त क्रमांक 5.2 की स्थिति में उपरोक्त सामग्री का पुनः मुद्रण कर निर्धारित समय में मांगकर्ता कार्यालय को प्रदाय करना होगा। विलम्ब की स्थिति में आधा प्रतिशत प्रति दिवस के मान से शास्ति अधिरोपित की जावेगी। यदि निर्धारित समय सीमा में सामग्री की प्रदायगी नहीं की जाती अथवा सामग्री पुनः मुद्रित करने से इंकार किया जाता है कि दशा में भू-राजस्व वसूली के अन्तर्गत एवं मुद्रक द्वारा निष्पादित अनुबंध के क्रम में भुगतान की गयी राशि/अन्तर की राशि वसूले जाने हेतु फर्म के विरुद्ध अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 5.4 निविदा में आमंत्रित फर्मों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि निविदा में प्रस्तुत कागज के नमूने/तकनीकी विवरण अनुरूप ही सामग्री का मुद्रण किया जावे। किसी भी दशा में गुणवत्ता में कमी/लापरवाही पूर्णतः रूप से अस्वीकार होगी।
- 5.5 गुणवत्ता में कमी किसी भी रूप में मान्य नहीं है, ऐसे प्रकरणों में संबंधित मुद्रक को प्रदेश में प्रतिबंधित कर काली सूची में सम्मिलित किया जावेगा।
6. सामग्री कार्टून में पैक कर (5 प्लाई कार्टून, सिंक रेक्शसटेन्स पैकिंग में अधिकतम 25 केजी वजन) में मांगकर्ता कार्यालय को पूर्ण गोपनीयता के साथ अधिकृत प्रतिनिधि माध्यम से F.O.R. सौंपा जाना होगा। इसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 7.
8. मुद्रक द्वारा सामग्री की आपूर्ति उपरान्त देयक मुद्रण कार्य की गुणवत्ता, संख्या, माल प्राप्ति की संतुष्टि/उसकी मात्रा के प्रमाण-पत्र के साथ रेण्डम नमूने सहित देयक तीन प्रतियों में सत्यापन हेतु संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा सीधे मुद्रक को इस कार्यालय द्वारा देयक सत्यापन उपरांत नियमानुसार देयकों पर लगने वाले कर का कटौत्रा कर किया जायेगा।
9. राफल निविदाकार को इस कार्यालय से सूचना प्राप्ति के 2 कार्य दिवस के अन्दर कुल मुद्रण राशि का 10% राशि का एफ.डी.आर. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म0प्र0, भोपाल के पक्ष में 12 माह की अवधि के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कर तत्काल राशि रूपये 1000=00 के नानज्यूडिशियल/स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। यदि अनुबंध हेतु फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होता है, तो अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकार फर्म की पदमुद्रा
एवं हस्ताक्षर

9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी भुगतान संबंधी प्रतिबंधों या अपरिहार्य परिस्थिति आने के कारण यदि भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है तो लंबित भुगतान पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
10. मुद्रक को प्रिंट लाईन विभाग से अनुमोदन कराकर (विभाग का मांगपत्र क्रमांक, दिनांक, नियंत्रक, शा० मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०, भोपाल का मुद्रण आदेश क्रमांक एवं दिनांक) संक्षिप्त में अंकित करना होगा।
11. यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक को होगा। इसके अतिरिक्त निविदाओं के आमंत्रण के पश्चात कार्यादेश जारी करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०, भोपाल का होगा।
प्रोसेसिंग फीस रूपये 250=00 एवं सर्विस टैक्स का भुगतान वेबसाइट से ऑनलाईन करने के उपरांत निविदा प्रपत्र डाउन लोड किया जा सकेगा।
12. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत पंच निर्णय हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। पंच निर्णय हेतु आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
13. निविदाकार द्वारा जमा 10% राशि उनके द्वारा समस्त प्रकार के कर अदायगी का एक्नालोजमेंट/चालान की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने पर मुक्त की जावेगी।

नोट :—निविदाकार शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर पदमुद्रा
सहित अंकित कर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करें।


उप नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०, भोपाल.

निविदाकार फर्म की पदमुद्रा
एवं हस्ताक्षर

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016—पौष 25, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अंतिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग) अंतिम नियम

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्र. एफ-6-14-2012-अ-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-14-2012-अ-ग्यारह, दिनांक 28 जुलाई 2015 से जारी “मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015” में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:—

1. नियम 25.3 के पश्चात् निम्नानुसार नया नियम, 25.4 अंतःस्थापित किया जाता है:—

“25.4 निविदा में एल-1 का निर्धारण.—अखिल भारतीय स्तर की निविदा में प्रदेश के उद्यम द्वारा प्रस्तुत दरों में प्रदेश के वैट कर की राशि को छोड़कर तथा प्रदेश के बाहर की इकाईयों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर की राशि जोड़कर प्राप्त दरों के आधार पर एल-1 दरों का निर्धारण किया जावेगा。”

2. नियम 25.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—